भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 909

दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

जल निकायों से गाद निकालना

909. श्री जी. कुमार नायक:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा जल निकायों और बांधों की गाद निकालने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने जल निकायों की गाद को निकालने, उनके पुनरुद्धार और नवीनीकरण करने के लिए कोई निधि आवंटित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार और नीवीनीकरण (आरआरआर) तथा बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) की योजनाओं के अंतर्गत आवंटित निधि और प्रदान किए गए लाभ का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध की गाद निकालने, विकास और रखरखाव करने के लिए विशेष निधि आवंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): भारत सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रही है, जिसके एक घटक के रूप में हर खेत को पानी (एचकेकेपी) को शामिल किया गया है और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) योजनाओं को पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है। पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के जल निकायों के आरआरआर घटक के अंतर्गत जल निकायों को अवसाद मुक्त करने, परिवहन प्रणालियों की मरम्मत, बांधों को मजबूत करने, बांधों और नालों की मरम्मत, जलग्रहण उपचार, कमान क्षेत्र विकास और मृदा अपरदन रोकथाम से संबंधित कार्यों के लिए केंद्रीय सहायता पर विचार किया जा रहा है।

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी) के एक घटक, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) योजना के तहत विभिन्न राज्यों को केंद्रीय सहायता के रूप में 545.35 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 से 31 मार्च 2025 तक के लिए है। परिणामस्वरूप, 1.20 लाख हेक्टेयर

की सिंचाई क्षमता बहाल हुई है और मार्च 2025 तक 191 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) जल भंडारण क्षमता का पुनरुद्धार हुआ है। राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

भारत सरकार बाह्य वित्तपोषित योजना, बांध पुनर्वास एवं सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी) चरण II और III का भी कार्यान्वयन कर रही है, जिसका उद्देश्य बांधों की सुरक्षा और दक्षता में सुधार लाना है। इसमें पुनर्वास, आपातकालीन योजनाएँ और क्षमता निर्माण शामिल हैं। इस योजना के तहत, गाद निष्कर्षण के लिए कोई समर्पित निधि आवंटन नहीं है, हालाँकि, चयनित बांधों की आवश्यकता के अनुसार गाद निष्कर्षण आधारित प्रावधान मौजूद है।

इस योजना में उन्नीस (19) राज्यों और तीन केंद्रीय एजेंसियों को उनके चयनित बांधों के पुनर्वास हेतु शामिल करने का प्रावधान है। दूसरे चरण का सह-वित्तपोषण विश्व बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्मन्ट बैंक (एआईआईबी) द्वारा किया जा रहा है। योजना की पूर्णता अवधि मार्च, 2031 है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित बाह्य सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण II और III के अंतर्गत सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि आवंटन का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। लाभों में सामान्यतः पुनर्वासित बांध की बेहतर सुरक्षा और परिचालन क्षमता के साथ-साथ बांध सुरक्षा संस्थागत सुदृढ़ीकरण शामिल है।

(घ): कर्नाटक जल संसाधन विभाग ने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तुंगभद्रा बांध की सिविल संरचनाओं का पुनर्वास किया। हालाँकि, कर्नाटक जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में तुंगभद्रा बांध से गाद निकालने का कोई प्रावधान शामिल नहीं था। ये कार्य रिसाव न्यूनीकरण उपायों (जैसे ग्राउटिंग और पॉइंटिंग), निचले तटबंधों की पुनर्बहाली, ऊर्जा अपव्यय साधनों की मरम्मत और बांध में कुछ उपकरण लगाने तक सीमित थे। कर्नाटक के क्षेत्राधिकार में आने वाले तुंगभद्रा बांध के बाएं हिस्से में नागरिक पुनर्वास कार्यों पर 34.60 करोड़ रुपये व्यय हुए, जबकि ड्रिप-II योजना के तहत 41.55 करोड़ रुपये का कार्य आवंटित किया गया था।

****

अनुलग्नक-I

"जल निकायों से गाद निकालना" के संबंध में दिनांक 24.07.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 909 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत जारी केंद्रीय सहायता, निर्मित सिंचाई क्षमता और भंडारण पुनरुद्धार का विवरण (2016-17 से 2024-25 तक)

क्र. सं.	**राज्य**	**जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)**	**पुनर्बहाल सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)**	**भंडारण का पुनरुद्धार (एमसीएम)**
1	आन्ध्र प्रदेश	2.70		
2	बिहार	41.76	21.80	87.92
3	गुजरात	14.54	3.90	0.0
4	मध्य प्रदेश	0.00	8.00	0.03
5	मणिपुर	27.96	0.62	5.74
6	मेघालय	2.66	0.88	0.44
7	नागालैंड	15.74	0.0	0.0
8	ओडिशा	151.56	33.83	22.20
9	राजस्थान	82.01	17.77	11.52
10	तमिलनाडु	146.74	14.25	4.77
11	तेलंगाना	59.68	16.31	54.37
12	उत्तर प्रदेश	0.00	2.35	4.29
	कुल	**545.35**	**119.71**	**191.28**

*****

अनुलग्नक-II

"जल निकायों से गाद निकालना" के संबंध में दिनांक 24.07.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 909 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

बाह्य सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण II एवं III के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित निधि आवंटन का विवरण

क्र.सं.	राज्य/एजेंसी	केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा द्वितीय और तृतीय चरण के लिए आवंटन	
		चरण II लागत (रुपये करोड़ में)	चरण III लागत (रुपये करोड़ में)
1	एपी डब्ल्यूआरडी	336	331
2	बीबीएमबी	70	160
3	छत्तीसगढ़ डब्ल्यूआरडी	133	0
4	डीवीसी	44	100
5	गोवा डब्ल्यूआरडी	58	0
6	गुजरात डब्ल्यूआरडी	201	199
7	झारखंड डब्ल्यूआरडी	57	181
8	केएडब्ल्यूआरडी (केपीसीएल सहित)	308	304
9 क	केरल एसईबीएल	75	75
9 ख	केरल डब्ल्यूआरडी	166	0
10	महाराष्ट्र डब्ल्यूआरडी	379	561
11	मणिपुर डब्ल्यूआरडी	156	155
12	एमईपीजीसीएल	221	220
13	एमपी डब्ल्यूआरडी	100	86
14	ओडिशा डब्ल्यूआरडी	403	401
15	पंजाब डब्ल्यूआरडी	196	246
16	राजस्थान डब्ल्यूआरडी	503	462
17 क	टीएएनजीइडीसीओ	227	227
17 ख	टीएन डब्ल्यूआरडी	303	307
18	तेलंगाना डब्ल्यूआरडी	276	269
19	यूजेवीएनएल	171	103
20	यूपीआई एंड डब्ल्यूआरडी	396	391
21	पश्चिम बंगाल आई एंड डब्ल्यूडी	43	41
22	सीडब्ल्यूसी	285	285
	कुल	**5107**	**5104**

*****